उत्तर प्रदेश शासन

कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-1

संख्या-03/2022/54/80-1-2022-151/2021

दिनांक 20 जून, 2022

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1 सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-25 सन् 1964) की धारा 40 की उपधारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाती हैः-

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (पच्चीसवां संशोधन) नियमावली, 2022

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी (पच्चीसवां संशोधन) नियमावली, 2022 कही जायेगी। (2) यह दिनांक 11 मई 2020 से प्रवृत्त हुयी समझी जायेगी।
नियम 66-क का बढ़ाया जाना	2- उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 में नियम-66 क पश्चात निम्नलिखित नियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थातः-
	"प्रयोक्ता प्रभार (यूजर चार्ज) 66 क- प्रधान मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल में बिक्री के लिए लाये गये गैर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों यथा-अन्न, द्वि-दलीय उत्पाद, तिलहन, रेशे, स्वापक, मसाले, उद्यान कर्म, फल एवं शाक तथा कृषि उत्पाद आदि पर अधिनियम की धारा-17 (तीन) (ग) के उपबन्धों के अनुसार प्रधान मण्डी स्थल/उपमण्डी स्थल में उपलब्ध अवस्थापना सुविधाओं और प्रदत्त वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रतिफल स्वरूप मण्डी समिति प्रयोक्ता प्रभार(यूजर चार्ज) उद्ग्रहीत करेगी और संगृहीत करेगी। प्रतिबन्ध यह है कि, घोषित मण्डी उप स्थल में गैर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों पर, उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 की धारा 7-क (3) में विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों पर मण्डी शुल्क उद्ग्रहण एवं संग्रहण हेतु किये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

	गये उपबंधों के समान ही, प्रयोक्ता प्रभार उद्ग्रहीत एवं संग्रहीत किया जायेगा। अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि, किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेशों में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, गैर विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद बेचने वाला व्यापारी समिति को प्रयोक्ता प्रभार(यूजर चार्ज) का देनदार होगा और दिनांक 11 मई, 2020 से सदैव देनदार हुआ समझा जायेगा और इस आधार पर कि यह पूर्व में क्रेता से वसूल नहीं किया गया है, ऐसे दायित्व से मुक्त नहीं होगा।''

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिव

संख्या- 03/2022/54(1)/80-1-2022-151/2021 तद्दिनांक ।

उपर्युक्त की प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

(1) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित दिनांक 20 जून, 2022 असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड 'ख' में प्रकाशनार्थ कृपया अधिसूचना की 50 प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।

(2) निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।

(3) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ऋषिरेन्द्र कुमार
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।